न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह आई.ए.एस.

प्र.सं. 20/2022
सीसीएमएस : 2022/114

1. राकेश कुमार पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी 12 एनआरडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–: प्रार्थी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी 12 एनआरडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. सुनील कुमार पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी 12 एनआरडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. अनिल कुमार पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी 12 एनआरडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. प्रमिला पत्नी सुनील कुमार जाति बिश्नोई निवासी 12 एनआरडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
5. सुमन देवी पत्नी अनिल कुमार जाति बिश्नोई निवासी 12 एनआरडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
6. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–: अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
1. श्री रणवीर. सिंह बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. श्री मोहनलाल बाना, वकील अप्रार्थी सं. 1 से 5

–: निर्णय :–

दिनांक : 08.02.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 12 एनआरडी ए के खाता सं. 41 मु.नं. 10 प.नं. 120/319 के कि.नं. 1 ता 25 में 6.325है0 कमाण्ड मय खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। अप्रार्थी सं. 1 को उपरोक्त भूमि उनके पिता शंकरलाल से विरास्त में प्राप्त हुई थी। इस प्रकार हिन्दू सहदायिकी परिवार की विरास्तन प्राप्त सम्पति हैं जिस पर जन्म से ही प्रार्थी का 1/4 हिस्सा बनता है, अप्रार्थी सं. 1,2,3 का [illegible] का भी 1/4 हिस्सा बनता हैं अर्थात 1.581है. भूमि बनती हैं। प्रार्थी को उसके हिस्सा की भूमि अप्रार्थी [illegible] उक्त मुरब्बा के कि.नं. 18,19,20,21,22,23 सालम प्रत्येक व कि[illegible] 24 में 5 बिस्वा [illegible] बांट कर दे रखी हैं। प्रार्थी कि.नं. 18–19 में ढाणी बनाकर सपरिवार [illegible] रहा है। उक्त भूमि ही प्रार्थी के परिवार के जीवन यापन का स्त्रोत हैं। इस प्रकार [illegible] दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं।

भूमि को लेकर अप्रार्थी सं. 1 से 3 के मन में बदनियती आ गई तथा अप्रार्थी सं. 1 ने अन्य के साथ मिलकर प्रार्थी का हक व हिस्सा हडप करने की नीयत से दिनांक 07.02.2022 को भूमि म से 1.581है. भूमि का दान पत्र अप्रार्थी सं. 5 सुमन देवी तथा 1.581है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

भूमि का दान पत्र अप्रार्थी सं. 3 अनिल कुमार के पक्ष में तथा 1.581है. भूमि का दान पत्र अप्रार्थी सं 4 प्रमिला के पक्ष में तथा 1.582है. भूमि का दान पत्र अप्रार्थी सं. 2 सुनील कुमार के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र उपपंजीयक कार्यालय मुकलावा में उपस्थित होकर निष्पादित करवा दिये। प्रार्थी का भूमि में 1/4 हिस्सा वाजिब था, इसलिए दान पत्र जो अप्रार्थी सं. 1 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि के निष्पादित करवाये वह शुरु से ही प्रार्थी के हितों के विपरीत शून्य, निष्प्रभावी एवं अवैध हैं।

दिनांक 10.02.2022 को अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थी की रिहायशी ढाणी जो मु.नं. 10 के कि.नं 18 व 19 में बनी हुई है में आये तथा प्रार्थी के साथ झगडा करने लगे तथा ढाणी खाली कर भूमि में से निकल जाने को कहने लगे, जब भूमि सुरजाराम से बंटवारे में प्राप्त होना बताया तो अप्रार्थीगण ने एक स्वर में ऐलानिया कहा कि उक्त भूमि जरिये दान पत्र प्राप्त हो चुकी हैं। अब इस भूमि में आपका कोई अधिकार नहीं हैं। ढाणी खाली करने से इंकार किया तो मारपीट करने लगे। अप्रार्थीगण प्रार्थी को भूमि व ढाणी से बेदखल करने पर अमादा हैं। जबकि अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थीगण के कृत्यों से प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा व ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपूर्णीय क्षति होगी।

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित करने हेतु निवेदन किया कि वे विवादित भूमि में स्वयं या हितबद्ध व्यक्ति या पश्चातवर्ती व्यक्ति किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने व भूमि को किसी प्रकार से किसी अन्य को हस्तांतरण रहन बैय आदि करने से बाज व ममनू रहे तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त मु.नं. 10 कि.नं. 18,19,20,21,22,23 सालम प्रत्येक व कि.नं. 24 में 5 बिस्वा भूमि की सिंचाई पानी की बारी में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें व ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे प्रार्थी उपरोक्त रकबा से बेदखल होता हो।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से होने से कोई विरोध नहीं हैं परन्तु पक्षकार हिन्दू विधि से शासीत होते हैं इस भूमि की संयुक्त आय से इसी चक में मु.न. 8 में 2.562है. भमि जरिये बैयनामा खरीद की थी वह भूमि भी जददी जायदाद हैं। इस [illegible] शामिल करते हुए वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 का बराबर बराबर 1/4 हिस्सा बनता हैं। दोनों भूमि [illegible] उस भूमि को छिपाकर नं. 8 जो वादी व उसकी पत्नी के [illegible] नाम जरिये [illegible] पत्र दिनांक झूठे तथ्यों पर दावा पेश किया हैं। प्रार्थी [illegible] सं. 243 दर्ज होकर जमाबंदी 26.09.2018 को करवाई उसका राजस्व कागजात में इंतक[illegible] सं. 243 दर्ज होकर जमाबंदी के खाता सं. 37 में उनके नाम भूमि दर्ज हो चुकी हैं। प्रार्थी का मु.नं. 10 में किसी भाग पर हक व हिस्सा नहीं बनता हैं। प्रार्थी का हक व हिस्सा उसको जरिये दान पत्र पूरा कर दिया हैं। विवादित भूमि जरिये दान पत्र करवाई हैं जब तक दान पत्र कायम है तब तक राजस्व न्यायालय को ऐसे दावे सुनने के अधिकार क्षेत्र नहीं हैं। प्रार्थी ने शंकरलाल की भूमि से आई भूमि में हक व हिस्सा मांगा हैं शंकरलाल के तमाम वारिसान दावा में आवश्यक पक्षकार नहीं

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:41:22 IST
Reason: SelfAttested

060319

.·\/

मगन -प- भागोना

हैं, जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए पक्षकारों के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं हैं। अप्रार्थी ने चक 12 एनआरडी के मु.नं. 8 के 2.562है. भूमि में काउंटर क्लेम कर अपने हकों की घोषणा करवाने का पेश किया हैं इसलिए भूमि पर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र खारिज कर चक 12 एनआरडी के मु.नं. 8 के 2.562है. भूमि पर प्रार्थी को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंध किया जाने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 को विरासतन प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रार्थी का अप्रार्थी सं. 1,2,3 के साथ जन्म से ही 1/4 हिस्सा निहित हैं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने हक से अधिक भूमि का दान किया हैं जो प्रार्थी के हितों के विपरीत होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को 1/4 हिस्सानुसर भूमि बांटकर दी गयी थी, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त हैं कि.नं. 18,19 में प्रार्थी ढाणी बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल करना चाहते हैं। यदि वे कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा। अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि मु.नं. 10 की आय से मु.नं. 8 में भूमि सुरजाराम द्वारा खरीद की गयी थी जो प्रार्थी व उसकी पत्नी को जरिए दान पत्र दी जाकर प्रार्थी का हिस्सा पूरा किया जा चुका हैं। इस तथ्य को छिपाकर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो काबिल खारिज हैं। उक्त समस्त मु.नं. 10 व 8 की भूमि हिन्दू सहदायिकी की संयुक्त परिवार की सम्पति की परिभाषा में आती हैं। मु.नं. 8 की भूमि पर अपने अधिकारों की घोषणा बाबत अप्रार्थीगण द्वारा वाद में काउंटर क्लेम पेश किया गया हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए चक 12 एनआरडी के मु.नं. 8 के 2.562है. भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखने हेतु प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज चित्रप्रति जमाबंदी चक 12 एनआरडी ए संवत 2075–2078 खाता सं. 41/38, चित्रप्रति नामान्तरकरण चक 12 एनआरडी ए ना.सं. 69 दिनांक 15.08.2000 व ना.सं. 67 दिनांक 2[illegible] के अनुसार विवादित भूमि अप्रार्थी सं. [illegible] को विरासतन प्राप्त होता प्रतीत होती हैं, जिसे अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] होना स्वीकार किया हैं। प्रार्थी द्वारा दान पत्र सुरजाराम [illegible] 07.02.2022 को सुरजाराम बहक प्रमिला, सुरजाराम बहक [illegible] उपपंजीयक मुकलावा से पंजीबद्ध हैं। अप्रार्थीगण की ओर से चित्रप्रति [illegible]ामा मनीराम बहक सुरजाराम दिनांक 29.12.1998 उप पंजीयक मुकलावा से पंजीबद्ध बाबत चक 12 एनआरडी ए के मु.नं. 8 की 2.562है. भूमि की प्रति, व चक 12 एनआरडी ए के नामान्तरकरण सं. 60 दिनांक 22.09.1999, ना.सं. 167 दिनांक 14.10.2013, ना.सं. 243 दिनांक 21.01.2019 की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं, जिस अनुसार अप्रार्थी सं.1 द्वारा अपनी क्रयशुदा चक 12 एनआरडी ए के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर